न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 35/2024 दिनांकः– 26.06.2024

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. गीतेश पुत्र चन्दर बैरवा
2. हेमलता पुत्री चन्दर पत्नि दामोदर बैरवा
   निवासी भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

(सायलान)

बनाम

1. कैलाश चन्द पुत्र रम्भू
2. विनोद पुत्र शिवलाल
3. देवराज पुत्र शिवलाल
4. खेमचन्द पुत्र शिवलाल
5. प्रभूदयाल पुत्र शिवलाल
6. प्रेम पुत्री शिवलाल पत्नि नारायण
7. मांगी देवी बेवा शिवलाल
   समस्त जातियान बैरवा निवासीयान भनकपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली।
8. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली।

(गैरसायल)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट सायल

निर्णय दिनांक 28.04.2025

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भनकपुरा की आराजीयात ख0न0 107/0.82, 161/0.06, 162/0.53 कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 सायलान व गैरसायल न0 2 ता 6 के बाबा व गैरसायल न0 7 के ससुर तथा गैरसायल न0 1 के पिता रम्भू की खातेदारी की आराजीयात है जो खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2035–38 मे दर्ज है। खातेदार रम्भू की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामांतकरण सायलान के पिता चन्दर व गैरसायल न0 1 कैलाश व गैरसायल न0 2 ता 6 के पिता व गैरसायल न0 7 के पति शिवलाल के नाम खोला गया जो आधार वर्ष सम्वत 2052 तक लगातार खातदोरी चली आ रही थी, इस प्रकार वर्णित आराजीयात पैतृक आराजीयात है जिसमे सायलान का 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार होना साबित है।

सायलान व गैरसायल न0 1 ता 7 सयुक्त परिवार के सदस्य है जिनका सजरा खानदान इस प्रकार हैः–

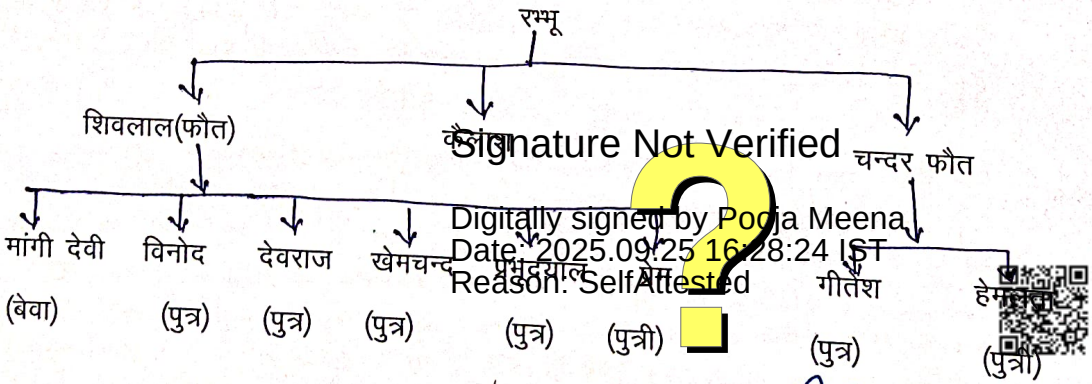

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:28:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

यह है कि वर्णितआराजीयात सायलान व गैरसायलान 1 ता 7 की पैतृक आराजी है जो बुजुर्ग रंभू से विरासत मे प्राप्त हुई है। लेकिन सायलान के पिता चन्दर की मृत्यु के पश्चात दौराने सेटलमेन्ट गैरसायल न0 1 ने तथा प्रतिवादी न0 2 ता 6 के पिता व गैरसायल न0 7 के पति शिवलाल द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सायलान के पिता चन्दर का नाम हजफ करवाकर स्वंय अपने नाम गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/2, गैरसायल न0 2 ता 6 के पिता व गैरसायल न0 7 के पति शिवलाल हिस्सा 1/2 करवा दिया गया जिसका गैरसायलान एवं राजस्व कर्मचारियो को सायलान के पिता के नाम की खातेदारी को हजफ कराने का कोई अधिकार नही था, जबकि उक्त आराजीया तमे सायलान 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। और सायलान आराजी के 1/3 हिस्से की खातेदारी कराने के हकदार हे और सायलान द्वारा अपने 1/3 हिस्से मे सरसो व गेहू की फसल काश्त की, जिसे सायलान द्वारा ही काटा गया था।

बांका दिनांक 20.06.2024 को सायलान अपने हिस्से की आराजी की साफ सफाई करवा रहे थे कि अचानक गैरसायल न0 1 ता 5 आये और सायल न0 1 से बोले कि इस जमीन की खातेदारी मे से हमने तुम्हारे पिता चन्दर की मृत्यु के पश्चात राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सेटलमेन्ट के दौरान हमने अपने नाम 1/2—1/2 हिस्सा करवा ली है। इस जमीन म`अब तुम्हारे नाम खातेदारी नही है और अब तक तुम्हे हमने काश्त करने दिया है इसलिये तुम्हारे हिस्से की जमीन को तुम्हे छोडना होगा क्योकि इस जमीन की खातेदारी हमारे नाम है, तो सायल न0 1 ने कहा कि इस जमीन की तो खातेदारी मेरे पिता चन्दर के नाम शुरू से है और यह भूमि बाबा रम्भू से विरासत मे हम सभी को मिली है, जिसमे मेरा भी 1/3 हिस्सा है। जिस पर गैरसायलान नाराज हो गये तब सायलान ने तहसीलदार टोडाभीम को दौराने सेटलमेन्ट कर्मचारियो द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार टोडाभीम द्वारा समस्त दस्तावेज देखने पर दस्तावेजो को सही मानते हुये ही खातेदारी प्राप्त करने के लिये सायलान का सक्षम न्यायालय मे घोषणा खातेदारी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने की को कहा गया जिस पर सायलान द्वारा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

सायलान का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायलान के पक्ष मे है अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम भनकपुरा की आराजी ख0न0 107/0.82, 161/0.06, 162/0.53 कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 मे सायलान के 1/3 हिस्से से बेदखल नही करे तथा सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायलान ने जरिये वकालतन दिनांक 22.7.2024 को उपस्थिति दर्ज कराकर दिनांक 09.01.2025 को जबाब पेश किया, जबाब सहमति दर्शायी। दिनांक 21.04.2025 को न्यायालय द्वारा बार—बार आवाज दिलवाये जाने के बावजूद गैरसायलान तथा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:28:24 IST
Reason: SelfAttested

सायलान वकील की प्रार्थना पत्र अस्थाई [illegible] पर बहस सुनी गई, सायल वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का [illegible] किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 सायलान व गैरसायल न0 2 ता 6 के बाबा व गैरसायल न0 7 के ससुर तथा गैरसायल न0 1 के पिता रम्भू की खातेदारी की आराजीयात है जो खातेदार रम्भू की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजी का नामांतकरण सायलान के पिता चन्दर व गैरसायल न0 1 कैलाश व गैरसायल न0 2 ता 6 के पिता व गैरसायल न0 7 के पति शिवलाल के नाम खोला गया जो आधार वर्ष सम्वत 2052 तक लगातार खातेदारी चली आ रही थी, इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

वर्णित आराजीयात पैतृक आराजीयात है जिसमे सायलान का 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार होना साबित है। वर्णितआराजीयात सायलान व गैरसायलान 1 ता 7 की पैतृक आराजी है जो बुजुर्ग रंम्भू से विरासत मे प्राप्त हुई है। लेकिन सायलान के पिता चन्दर की मृत्यु के पश्चात दौराने सेटलमेन्ट गैरसायल न0 1 ने तथा प्रतिवादी न0 2 ता 6 के पिता व गैरसायल न0 7 के पति शिवलाल द्वारा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर सायलान के पिता चन्दर का नाम हजफ करवाकर स्वंय अपने नाम गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/2, गैरसायल न0 2 ता 6 के पिता व गैरसायल न0 7 के पति शिवलाल हिस्सा 1/2 करवा दिया गया जिसका गैरसायलान एवं राजस्व कर्मचारियो को सायलान के पिता के नाम की खातेदारी को हजफ कराने का कोई अधिकार नही था, जबकि उक्त आराजीयात मे सायलान 1/3 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला पाबन्द फरमाया जावे कि वे वर्णित आराजीयात कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 मे सायलान के 1/3 हिस्से से बेदखल नही करे तथा सायलान के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

सायलान वकील बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय कों तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः–** पत्रावली मे शामिल ग्राम भनकपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2035–38 मे साबिक ख0न0 75 रकवा 3 बीधा 4 विस्वा, ख0न0 87 रकवा 5 बिस्वा, ख0न0 96 रकवा 2 बीधा 2 बिस्वा की खातेदारी रम्भू पुत्र सोन्या जाति चमार सा.देह दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2039–42 मे उक्त वर्णित आराजीयात की खातेदारी शिवलाल, कैलाश, चन्दर पि0 रम्भू हि.ब. जाति चमार सा.देह राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा हलैना दर्ज रिर्काड है। जमाबन्दी आधार वर्ष 2052 मे खसरा नम्बरान 107/0.82, 161/0.06, 162/0.53 कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 की खातेदारी शिवलाल, कैलाश, चन्दर पि0 रम्भू हि.ब. जाति चमार सा.देह राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा हलैना दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे शामिल नवीन जमाबन्दी सम्वत 2074–77 मे वर्णित आराजी ख0न0 107/0.82, 161/0.06, 162/0.53 कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 मे कैलाश चन्द पुत्र रम्भू हिस्सा 1/2, शिवलाल पुत्र रम्भू हिस्सा 1/2 सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2035–38 अनुसार सायलान गैरसायलान के बुजुर्ग रंम्भू खातेदार काश्तकार दर्ज होना, तथा जमाबन्दी सम्वत 2039–42 व आधार वर्ष 2052, 2074–77 मे सायलान के पिता चन्दर तथा गैरसायल न0 1 तथा गैरसायलान न0 2 ता 6 के पिता व 7 के पति खातेदार होने से सायलान का प्रथम दृष्टया प्रकरण साबित है।
2. **सुविधा का संतुलनः–** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः–** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द नही किया जाता है तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:28:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः ग्राम भनकपुरा की आराजी ख0न0 1[illegible] 161/0.06, 162/0.53 कुल किता 3 कुल रकवा 1.41 है0 मे गैरसायलान को ता दावा [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली